REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 896]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015∕वैशाख 11, 1937
No. 896]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली,1 मई, 2015

का.आ. 1150(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 49 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः—

(1)	(2)	(3)
''49	16	कोलकाता के निकट रारा-19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पश्चिम बंगाल राज्य में खड़गपुर, ओडिशा राज्य में बालेश्वर और भुबनेश्वर तथा आंध्र प्रदेश राज्य में आनंदपुरम, पेंदुर्थी, अंकापल्ली, विजयवाड़ा, नेल्लौर को जोड़ने वाला और तमिलनाडु राज्य में चेन्नै के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।''

[फा.सं. एनएच-14014/112/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 132(अ), तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा किया गया था ।

1945 GI/2015

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2015

S.O. 1150(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 49 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:----

(1)	(2)	(3)
"49	16	The highway starting from its junction with NH-19 near Kolkata connecting Kharagpur in the State of West Bengal, Baleshwar and Bhubaneshwar in the State of Orissa, Anandapuram, Pendurthi, Anakapalli, Vijaywada, Nellore in the State of Andhra Pradesh and terminating at its junction with NH-48 near Chennai in the State of Tamilnadu.''

[F. No. NH-14014/112/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 132(E), dated 12th January, 2015.